राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 108 / 2025

निर्णय दिनांक : 15.07.2025

दायर दिनांक – 26.06.2025

GCMS : 2025/228

1. मूलचन्द पुत्र किशनाराम जाति ब्राह्मण निवासी तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान गेडाप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी रोही ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की निवासी है। रोही तेलाप तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 171 के खसरा संख्या 487 / 91 तादादी 1.5300 है0 प्रार्थी की खातेदारी में 1 / 2 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में मूलाराम पुत्र किशनाराम दर्ज है जो अशुद्ध है, जबकि प्रार्थी का सही नाम मूलचन्द पुत्र किशनाराम है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का सही नाम मूलचन्द अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का पता दुरस्त करवाना आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही गेडाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का सही नाम मूलचन्द अंकित है जबकि जमाबन्दी में मूलाराम अंकित है जो अशुद्ध है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मूलाराम की बजाय मूलचन्द दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम मूलचन्द अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही रोही तेलाप तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 171 के खसरा संख्या 487/91 तादादी 1.5300 है0 तहसील सुजानगढ़ में दर्ज खातेदार का नाम मूलाराम के स्थान पर मूलचन्द दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़